न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धारा:–88 आरटीए
प्रकरण संख्या:–109/2020

कृष्ण कुमार पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. सोहनलाल पुत्र तुलछाराम
2. महावीर
3. रामचन्द्र } पि0 सोहनलाल } जाति जाट निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. डूंगरराम
5. बलवन्ती देवी पुत्री सोहनलाल पत्नी अमरचन्द जाति जाट निवासी मुण्डा तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. कमलेश पुत्री सोहनलाल पत्नी बलेन्द्र जाति जाट निवासी घमूड़वाली तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
7. सूर्या पुत्री सोहनलाल पत्नी रणवीर जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील नोहरीबंगा जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता वादी
श्री करनैलसिह अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 05.01.2021

वादी कृष्ण कुमार ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि प्रतिवादीसं0 1 सोहनलाल के नाम से चकनं0 8 जीजीआर के खाता सं0 588/550 में कुल 1.771 है0 तथा चकनं0 10 जीजीआर के खाता सं0 428/412 में कुल 1.771 है0 कृर्षि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी संलग्न वादपत्र है।

वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी व प्रतिवादीगण का आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया थां व घरू बटवारां मे प्रतिवादी सं0 5 ता 7 जो कि वादी व प्रतिवादीसं0 2 ता 4 की बहने है, ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी व प्रतिवादीसं0 2 ता 4 के पक्ष में ब0हि0ब0 कर दिया था। घरू बटवारां में वादपत्र की दफा 3 के अनुसार आराजीं वादी व प्रतिवांदीसं0 2 ता 4 को ब0हि0ब0 प्राप्त हुई है। जिस पर वादीं व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ब0हि0ब0 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में आराजी वादी व प्रतिवादीसं0 2 ता 4 के नाम से ब0हि0ब0 दर्ज नही होने से तथा प्रतिवादीसं0 1 के नाम दर्ज रहने से वादी व प्रतिवादीसं0 2 ता 4 के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है। इंसलिए वादी वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां में प्राप्त आराजी के अनुसार भूमि वादी व प्रतिवादीसं0 2 ता 4 के नाम से ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 10 जीजीआर के खाता सं0 428/412 मे से प्रतिवादीसं0 1 सोहनलाल का नाम कलमजन, चकनं0 8 जीजीआर के खाता सं0 588/550 मे से प्रतिवादीसं0 1 सोहनलाल का हिस्सा कम करवाना चाहता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

वादी ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 3 में दर्ज बटवारां में प्राप्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण सं0 2 ता 4 के नाम से ब0हि0ब0 अंकन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के वाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा अपना सहमति का जबाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का वादी व हम प्रतिवादीगण का आपस में अर्सा कदीम पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां मे हम प्रतिवादी सं0 5 ता 7 ने अपने अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग वादी व प्रतिवादीसं0 2 ता 4 के पक्ष में ब0हि0ब0 कर दिया था। घरू बटवारां में चकनं0 8 जीजीआर के खाता सं0 588/550 में अंकित कुल 1.771 है0 में से 1.265 है0 तथा चकनं0 10 जीजीआर के खाता सं0 428/412 में अंकित कुल 1.771 हे0 भूमि वादी व प्रतिवादीसं0 2 ता 4 को ब0हि0ब0 प्राप्त हुई है। जिस पर वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ब0हि0ब0 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज जमा करवाते चले आ रहे है। इसलिए दफा हाजा में दर्ज बटवारां के अनुसार आराजी वादी व प्रतिवादीसं0 2 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 10 जीजीआर के खाता सं0 428/412 मे से प्रतिवादीसं0 1 सोहनलाल का नाम कलमजन, चकनं0 8 जीजीआर के खाता सं0 588/550 मे से प्रतिवादीसं0 1 सोहनलाल का हिस्सा कम किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम प्रतिवादीगण पूर्णतया सहमत है।जबाबदावा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटो प्रतियॉ पेश की गई।वादी कृष्ण कुमार द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र,वारिसनामा, वारिसनामा बाबत स्टाम्प व प्रतिवादीसं0 1 सोहनलाल की पत्नी परमेश्वरी का शपथ पत्र व पैतृक सम्पति बांबत चक 8 जीजीआर व चक 10 जीजीआर की अपने दादा तुलछाराम के नाम की जमीन की पास बुक की फोटो प्रति पेश की, जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस सुनी गई।वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद में प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जबाबदावा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद का कोई विरोध नही किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र की दफा 3 मे दर्ज बंटवारा में प्राप्त आराजी वादी व प्रतिवादीसं0 2 ता 4 के नाम से ब0हि0ब0 अंकन करने का निवेदन किया गया। वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिस बाबत वादी द्वारा चक 8 जीजीआर व चक 10 जीजीआर की अपने दादा तुलछाराम के नाम की जमीन की पास बुक की फोटो प्रति पेश पेश की है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया गया है।वादी का वाद पूर्णतया साबित है।मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनने के उपरान्त प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी, जबाबदावा,शपथ पत्र, वारिसनामा, स्टाम्पख पैतृक सम्पति बाबत चक 8 जीजीआर व चक 10 जीजीआर की अपने दादा तुलछाराम के नाम की जमीन की पास बुक की फोटो प्रति का गहराई से अध्ययन किया गया।राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादीसं0 1 सोहनलाल के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादी द्वारा जो दस्तावेज जमाबन्दी, शपथ पत्र वारिसनामा, पैतृक सम्पति बांबत प्रस्तुत चक 8 जीजीआर व चक 10 जीजीआर की दादा तुलछाराम के नाम की पास बुक की फोटो प्रति व प्रस्तुत जबाबदावा के आधार पर व प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार का वाद का विरोध न करने के कारण तथा मुताबिक जबाबदावा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक जबाबदावा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादी साबित करने में सफल रहा है। वाद वादी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादे वादी स्वीकार किया जाता है कि प्रतिवादीसं0 1 सोहनलाल के नाम की चकनं0 8 जीजीआर के खाता सं0 588/550 में अंकित कुल 1.771 है0 में से 1.265 है0 तथा चकनं0 10 जीजीआर के खाता सं0 428/412 में अंकित कुल 1.771 है0 भूमि के वादी व प्रतिवादीसं0 2 ता 4 को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं0 10 जीजीआर के खाता सं0 428/412 मे से प्रतिवादीसं0 1 सोहनलाल का नाम कलमजन, चकनं0 8 जीजीआर के खाता सं0 588/550 मे से प्रतिवादीसं0 1 सोहनलाल का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी